## 13- Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it.

(क) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत फिल्म नीति के अन्तर्गत आने वाली फिल्मों,बाल चित्र समिति द्वारा निर्मित/अधिगृहीत फिल्मों तथा जनहित में किसी फिल्म के प्रदर्शन को मनोरंजन कर की देयता से मुक्त करने का प्राविधान है। धारा 11 (2) के अन्तर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों, 5 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके द्वारा रियायती भुगतान पर, भारत सरकार के सशस्त्र बल के सदस्यों, जो कमीशण्ड आफिसर नहीं हैं, तथा ऐसे केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी, जो विधि के अन्तर्गत किसी शासकीय दायित्व का निर्वहन करने हेतु प्रवेश करते हैं, को मनोरंजन कर के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

(ख) जिला स्तर पर आमोद के स्वामियों को आमोद के संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा/अनुमति प्रदान की जाती है। प्रदेश में चल रहे सभी सिनेमाघर, केबिल केन्द्र तथा अन्य आमोद, जैसे– वीडियो पार्लर, वीडियो सिनेमा, वीडियो लाइब्रेरी आदि, ऐसे अनुमति/अनुज्ञा ग्रहीता की सूची में सम्मिलित हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 2 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने सभी अथवा किसी अधिकार को व्यवहृत करने हेतु अपर आयुक्त, उप आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त को अधिकृत करने की शक्ति प्रदत्त है।